



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225606
CG-DL-E-03032021-225606

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 911]
No. 911]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

का.आ. 985(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 139(इ), तारीख 8 जनुअरी, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विज़िअनगरम जिले में NH130CD के कि.मी. 363.32 से कि.मी. 458.5 (थोटापल्ली) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22 जनुअरी 2020" को "साक्षी" और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के विज़िअनगरम जिले में NH130CD के कि.मी. 363.32 से कि.मी. 458.5 (थोटापल्ली) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: विज़िअनगरम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मेण्टदा				
	गांव का नाम: जयथि				
1	362	निजी	शुष्क	0.4775291	बंमीरेडुडी सुधाकर रेड्डी (362 2)
2	363/1	निजी	शुष्क	0.2873268	बंमीरेडुडी सुधाकर रेड्डी (363 1)
3	364/1	निजी	इनाम शुष्क	0.1375931	बंमीरेडुडी सुधाकर रेड्डी (364 १ब)
4	364/2	निजी	शुष्क	0.0404686	बंमीरेडुडी सुधाकर रेड्डी (364 २ब)
5	373/5	निजी	शुष्क	0.0161874	बंमीरेडुडी सुधाकर रेड्डी ()
			कुल	0.959105	

[फा. सं. NHAI/PIU-VSP/ODR-SBVRM/3a/2019-20/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

S.O. 985(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **number S.O.No.139 (E) dated 08.01.2020**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956)

(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH130CD on the stretch of land from Km 363.32 to Km 458.5 (Thotapalli) in the district of VIZIANAGARAM in the state of ANDHRA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Sakshi**” and “**Times of India**” both dated **22.01.2020**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in the exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH130CD in the stretch of land from NH130CD (Thotapalli) in the district of VIZIANAGARAM in the State of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: VIZIANAGARAM		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mentada				
	Village: Jayathi				
1	362	Private	Dry	0.4775291	Bammireddi Sudhakar reddy 362-2
2	363/1	Private	Dry	0.2873268	Bammireddi Sudhakar Reddi 363-1
3	364/1	Private	Inam Dry	0.1375931	Bammireddi Sudhakar reddy 364-1B
4	364/2	Private	Dry	0.0404686	Bammireddi Sudhakar Reddi 364-2B
5	373/5	Private	Dry	0.0161874	Bammireddi Sudhakar reddy 373-5B
			TOTAL	0.959105	

[F. No. NHAI/PIU-VSP/ODR-SBVRM/3a/2019-20/3D]

RAJESH GUPTA, Director